"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मई 2009—ज्येष्ठ 9, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का क्र. 28) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, गैर राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक सहमति से स्थानांतरण के लिए 1 नवम्बर, 2000 से प्रभावी भारत सरकार के आदेश क्रमांक 14-247-2 (एक्स) 2 एस. आर. (एस.), दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 के निर्देशानुसार उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित गैर राज्य संवर्ग के कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित गैर राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण (पारस्परिक सहमति से अदला-बदली) नियम, 2008 है.

(2) ये नियम ऐसे गैर राज्य संवर्ग के कर्मचारियों को लागू होंगे जो दिनांक 01-01-2007 से विहित तारीख तक पारस्परिक स्थानांतरण पर आये हैं, पारस्परिक स्थानांतरण की कालावधि छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्य के मध्य अनुबंध से नियत की जा सकेगी.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(ग) "राज्यपाल" स अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(घ) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, राज्य के नियमित नियोजन में कार्यरत गैर-राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारी, किंतु इसमें ऐसा कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें किसी कर्मचारी को आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता हो या वह दैनिक वेतनभोगी हो,

(ङ) "पारस्परिक स्थानांतरण" से अभिप्रेत है, पारस्परिक सहमति से एक राज्य की सेवा से दूसरे राज्य में गैर-राज्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों की अदला-बदली,

(च) "पद" से अभिप्रेत है, शासन के अधीन नियमित स्थापना के अधीन गैर-राज्य संवर्ग का स्वीकृत पद,

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा तथा राज्य संवर्ग कर्मचारियों को छोड़कर राज्य के कृत्यों से संबंधित किसी गैर-राज्य स्तरीय सेवा या पदों का समूह, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित तथा पदांकित हो,

(ज) "गैर राज्य संवर्ग" से अभिप्रेत है, ऐसे संवर्ग पद, जो ग्राम, तहसील, ब्लाक, जिला, संभाग, परिक्षेत्र से तथा विशेष परियोजना जो राज्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है, के लिए स्वीकृत है तथा जिन पर गैर-राज्य स्तर पर नियुक्तियां/पदोन्नतियां की जाती है तथा गैर राज्य स्तर पर पदक्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) भी रखी जाती है,

(झ) विद्यमान छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में "उत्तरवर्ती राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **संविलियन/ज्येष्ठता की प्रक्रिया :—** मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा किए गए उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के गैर-राज्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम आवंटन पर, छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में तथा मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में पारस्परिक सहमति से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप गैर-राज्य संवर्ग कर्मचारियों को संविलियन/ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी :—

पारस्परिक स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, संविलियन के पश्चात् उस गैर-राज्य संवर्ग के शासकीय सेवक की सापेक्षिक (रिलेटिव) ज्येष्ठता, जिसने उत्तरवर्ती राज्य में पदभार ग्रहण किया है, मूल संवर्ग में उनकी नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख के अनुसार अंत में नियत की जाएगी, उदाहरणार्थ यदि संवर्ग में शासकीय सेवक की नियुक्ति/पदोन्नति का वर्ष 1994 है, तो उस गैर-राज्य स्तरीय शासकीय सेवक का नाम जिसने पारस्परिक स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है, संबंधित वर्ष 1994 में, उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत सभी गैर-राज्य स्तरीय शासकीय सेवकों के अंतिम नाम के नीचे रखा जाएगा तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत गैर-राज्य स्तरीय शासकीय कर्मचारियों के नाम से पहले रखा जाएगा.

4. पारस्परिक स्थानांतरण इस प्रयोजन के लिए पृथक से जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7 दिनांक 30-05-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 30th May 2009

NOTIFICATION

No. F 1-1/2003/1-7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and sub-section (2) of section 68 of the Chhattisgarh Re-organization Act, 2000 (28 of 2000) the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to employees of Non State Cadre allocated finally to the successor States as per direction of Government of India's order No. 14-247-2 (x) 2-SR (S)-dated 14th October 2003 with effect from 1st November 2000, for the transfer with mutual consent of Government employees of Non State Cadre, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**

(1) These rules may be called mutual transfer (swapping with mutual consent) Rules, 2008 for the Government employees of non State cadre finally allotted to the successor States under sub-section (2) of section 68 Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000.

(2) These rules shall be applicable to the Non State Cadre employees who have come on mutual transfer from 1-1-2007 upto a prescribed date. The period of mutual transfer may be fixed with the agreement between the State of Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

2. **Definition :—**In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Competent Authority" means appointing authority or any other officer authorised by them ;

(b) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(d) "Government servant" means Government employees of Non State Cadre working in the regular employment of the State but it does not include any such employment in which payment is made to the employee from contingency fund or he is a daily wager ;

(e) "Mutual Transfer" means swapping of Government employees of non State Cadre with mutual consent from the services of one State to the other ;

(f) "Post" means sanctioned post of non State Cadre under regular establishment under the Government ;

(g) "Services" means group of service or posts of non State level, related to the function of the State which is organised and post marked in that from by the Government, except Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services and State Cadre employees.

(h) "Non State Cadre" means the cadre posts which are sanctioned for Village, Tehasil, Block, District, Division, Zone and special project which are working in the area of the state and on which appointments/promotions are made at Non State level and gradation list also maintained at Non State level ;

(i) "Successor State" in relation to the existing State of Chhattisgarh means the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

3. **Process of absorption/seniority :—** Consequent to the State Re-organisation under sub-section (2) of section 68 Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (28 of 2000), the final allotment of Non State Cadre officer/ employees of successor State of Chhattisgarh made by the Government of India, the absorption/seniority of Government Non State Cadre employees, consequent to the transfer with mutual consent from the State of Madhya Pradesh to the State of Chhattisgarh and the State of Chhattisgarh to the State of Madhya Pradesh shall be as follows :—

In consequence of mutual transfer, after absorption, relative seniority of the Non State Cadre Government servant, who has joined in successor State shall be fixed at the end of the seniority list according

to their appointment/promotion date in original cadre e. g. if the year of appointment/promotion of the Government servant in the Cadre is 1994, the name of the Government servant who has come to join on mutual transfer shall be placed below the last name of total appointed/promoted non State Level Government servants in the relevant year 1994 in that cadre and shall be placed before the name of the non State Level Government employees appointed/promoted in the year 1995.

4. Mutual transfer shall be in conformity with guiding principles issued separately for the purpose.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.